बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

अधिसूचना संख्या–सं0का01/वि0मं0(सदस्यों)4023(खण्ड)/2006–738, दि0–05.08.2008

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम सं0–16, 2006) की धारा–8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनातें हैं, यथा :–

1. **संक्षिप्त नाम और आरम्भ।** – (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) नियमावली 2008 कही जा सकेगी।

(2) यह संशोधन अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **उक्त नियमावली 2006 के नियम 17(2)iii के बाद निम्नलिखित एक नया उप खण्ड–iv के रूप में जोड़ा जायेगा, यथा :–**

"सदन के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित किसी निकाय, संस्था या संघ में, यदि राज्य विधान–मण्डल के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी/सदस्य के रूप में मनोनीत/नियुक्त किए जाएँ, तो उन्हें पूर्व सदस्य के रूप में देय पेंशन, रेलवे कूपन एवं चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त निकाय, संस्था या संघ के दायित्वों के निर्वहन के लिए उसी दर पर दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं अनुमान्य होगी, जो राज्य विधान–मण्डल के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएँ,

परन्तु वैसे निकाय, संस्था या संघ के कार्यक्रमों पर व्यय होने वाली राशि का उपबंध राज्य विधान–मण्डल की व्यय विवरणी में उसी रूप में सम्मिलित किया जाएगा, जिस रूप में राज्य विधान–मण्डल सचिवालय के व्यय का उपबंध से किया जायगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(अरूण चन्द्र सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का01/वि0मं0(सदस्यों)4023(खण्ड)/2006–738/ पटना, दि0–05.08.2008

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ मुद्रित कर इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का01/वि0मं0(सदस्यों)4023(खण्ड)/2006–738/ पटना, दि0–05.08.2008

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ सचिव, विधि विभाग, बिहार/ सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/ सचिवालय स्थित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव